"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 नवम्बर 2012—कार्तिक 14, शक 1934

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–161/2008/25/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा नियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में.–

1. नियम 11 के उप–नियम (1) के शीर्षक में शब्द "चयन" के पश्चात् शब्द "**/सीमित विभागीय परीक्षा**" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. अनुसूची–दो के सरल क्रमांक 3, 7, 10, 16 एवं 18 के कॉलम (1) से (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	उच्च वर्ग शिक्षक	26163	98%	02%	1. सीधी भर्ती के पद जिला पंचायत/नगरीय विकास विभाग द्वारा शिक्षक (पंचायत) से भरे जायेंगे। 2. यदि जनजाति विभाग में नियमित सहायक शिक्षक उपलब्ध न हो तो पदोन्नति के पदों को जिला पंचायत/ नगरीय विकास विभाग द्वारा शिक्षक (पंचायत) से भरा जाएगा।
7.	व्यायाम शिक्षक (पी.टी.आई.)	735	98%	02%	1. सीधी भर्ती के पदों को जिला पंचायत/नगरीय विकास विभाग द्वारा व्यायाम शिक्षक (पी.टी.आई.) (पंचायत) से भरा जाएगा। 2. यदि जनजाति विभाग में नियमित सहायक शिक्षक (डी.पी.एड.धारक) उपलब्ध न हो तो पदोन्नति के पदों को जिला पंचायत/नगरीय विकास विभाग द्वारा व्यायाम शिक्षक (पी.टी. आई.) (पंचायत) से भरा जाएगा।
10.	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	17021	98%	02%	(1) सीधी भर्ती के पदों को सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत), जो कम से कम 07 वर्ष का अनुभव रखते हों तथा व्याख्याता (पंचायत) जो 05 वर्ष का अनुभव रखते हों, से सीमित परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। (2) पदोन्नति के पदों को सहायक शिक्षक से भरा जाएगा। सहायक शिक्षक की सूची समाप्त होने की दशा में ऐसे पदों को सहायक शिक्षक (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हों, से सीमित परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।
16.	सहायक ग्रंथपाल गुरूकुल विद्यालय	01	100%	—	—

18.	प्रयोगशाला सहायक (लेबोरेटरी असिस्टेंट) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरूकुल विद्यालय	09	100%	—	शिक्षक (पंचायत) के पदों को जनपद पंचायत / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सहायक शिक्षक (पंचायत) वर्ग—3 से भरा जाएगा।"

3. अनुसूची—तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची—तीन
(नियम 8 से 12 देखिए)

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपकीय वर्गीय) सेवा

स.क्र	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति के सदस्यों का नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला / आश्रम शाला / कन्या शिक्षा परिसर	—	45	सहायक शिक्षक तथा शिक्षक (पंचायत) जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हों एवं व्याख्याता (पंचायत) जो 5 वर्ष का अनुभव रखते हों।	कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति	
2.	उच्च वर्ग शिक्षक	21	30	कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए तथा डी.एड. / बी.एड. / बी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए।	जिला पंचायत / नगरीय विकास विभाग द्वारा गठित चयन समिति	1.उच्च वर्ग शिक्षक विषयवार 2. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

3.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी—द	21	30	हायर सेकेण्डरी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, कम्प्यूटर के जानकार/प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी।	आयुक्त/संचालक द्वारा गठित चयन समिति	—तदैव—
4.	क्राफ्ट शिक्षक, गुरूकुल विद्यालय	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।	जिला पंचायत/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित चयन समिति	—तदैव—
5.	कृषि शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।	—तदैव—	—तदैव—
6.	व्यायाम शिक्षक (पी.टी.आई.)	21	30	1. हायर सेकेण्डरी या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. शारीरिक प्रशिक्षण / डी.पी.एड. में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।	—तदैव—	—तदैव—
7.	संगीत शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरूकुल विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर (6—12) कन्या शिक्षा परिसर (1—12)	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।	जिला पंचायत/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित चयन समिति	1.उच्च वर्ग शिक्षक विषयवार 2. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।
8.	तबला शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरूकुल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर (6—12) कन्या शिक्षा परिसर (1—12)	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तबला विषय में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।	— तदैव—	— तदैव—

9	सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला माध्यमिक आश्रम (100 सीटर) माध्यमिक आश्रम (50 सीटर) प्राथमिक आश्रम (150 सीटर) प्राथमिक आश्रम (50 सीटर) गुरूकुल विद्यालय (प्राथमिक शाला) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	30	1.हायर सेकेण्डरी या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. डी.एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उतीर्ण होना चाहिए।	1. जनपद पंचायत / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा गठित चयन समिति। 2. पदों को सहायक शिक्षक (पंचायत) से भरा जाएगा।	– तदैव–
10	सहायक शिक्षक (विज्ञान) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहायक शिक्षक (विज्ञान) हाईस्कूल	21	30	1. हायर सेकेण्डरी विज्ञान विषय में या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. डी.एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए।	–तदैव–	–तदैव–
11	सहायक ग्रंथपाल (आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	1.आयुक्त / संचालक –अध्यक्ष 2.अपर संचालक (प्रशासन) –सदस्य 3.उपायुक्त (सामान्य स्थापना) –सदस्य 4. उपायुक्त (शिक्षा स्थापना) –सदस्य सचिव	1.उच्च वर्ग शिक्षक विषयवार 2. छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

12	पुस्तकालय सहायक (बुक कीपिंग असिस्टेंट) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) ग्रंथालय सहायक आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	–तदैव–	–तदैव–
13	सहायक ग्रंथपाल गुरूकुल विद्यालय	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	–तदैव–	–तदैव–
14	उद्योग शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्योग विषय में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	जिला पंचायत/नगरीय विकास विभाग द्वारा गठित चयन समिति	–तदैव–
15	प्रयोगशाला सहायक (लेबोरेटरी असिस्टेंट) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरूकुल विद्यालय	21	30	हायर सेकेण्डरी 10+2 विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए।	जनपद पंचायत/नगरीय विकास विभाग द्वारा गठित चयन समिति	–तदैव–”

4. अनुसूची–चार के सरल क्रमांक 3, 5 एवं 6 के कॉलम (1) से (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	1. सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला/आश्रम शाला 2. सहायक शिक्षक डी.पी.एड.	05 वर्ष	1.उच्च वर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/आश्रम शाला/कन्या शिक्षा परिसर व्यायाम शिक्षक (पी.टी.आई.)	1. कलेक्टर – अध्यक्ष 2. सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण –सदस्य सचिव 3. सहायक संचालक –सदस्य 4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (कोई एक) –सदस्य 5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (कोई एक) – सदस्य	उच्च वर्ग शिक्षक के पदों को संबंधित विषय में न्यूनतम स्नातक डिग्री धारक सहायक शिक्षक से भरा जाएगा।
5.	सहायक ग्रंथपाल (कन्या शिक्षा परिसर)	05 वर्ष	ग्रंथपाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षक	1. आयुक्त/संचालक – अध्यक्ष 2. अपर संचालक (प्रशासन) – सदस्य 3. उपायुक्त (सामान्य स्थापना) – सदस्य 4. उपायुक्त (शिक्षा स्थापना) – सदस्य सचिव	–तदैव–
6.	सहायक ग्रंथपाल, गुरूकुल विद्यालय	05 वर्ष	सहायक ग्रंथपाल (कन्या शिक्षा परिसर)	–तदैव–	–तदैव–"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप–सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-161/2008/25/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-11-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 5th November 2012

NOTIFICATION

No. F 1-161/2008/25-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Castes Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In heading of sub-rule (1) of Rule 11, after the word "Selection" the words "/**Limited Departmental Examination-**" shall be substituted.

2. For the entries relating to column (1) to (6) of serial number 3, 7, 10, 16 and 18 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Upper Division Teacher	26163	98%	02%	1. Posts of direct recruitment shall be filled up by Jila Panchayat/ Urban Development Department by appointing Teacher (Panchayat). 2. If regular Assistant Teachers are not available in Tribal Department then the posts of promotion shall be filled up from teacher (panchayat) by Jila Panchayat/ Urban Development Department.
7.	Physical Training Instructor.	735	98%	02%	1. Posts of direct recruitment shall be filled up by Jila Panchayat and Urban Development Department through Physical Training Instructor (Panchayat). 2. If regular Assistant Teachers (Holding D.P.Ed.) in Tribal Department are not available

					then the posts of promotion shall be filled from P.T.I. (Panchayat) by Jila Panchayat/ Urban Development Department.
10.	Head Master Primary School	17021	98%	02%	1. Posts of direct recruitment shall be filled up from Assistant Teacher (Panchayat), Teacher (Panchayat), having minimum 7 years experience and from Lecturers (Panchayat) having 5 years experience, through limited examination. 2. Promotion post shall be filled up from Assistant Teachers. In the event of list of Assistant Teachers is exhausted then such posts shall be filled up from Assistant Teacher (Panchayat), Teacher (Panchayat) and Lecturer (Panchayat) having 7 years experience, through limited examination.
16.	Assistant Librarian Gurukul Vidyalaya	01	100%	--	-
18.	Laboratory Assistant Model Higher Secondary School, Gurukul Vidyalaya	09	100%	--	The post of Teacher (Panchayat) shall be filled up by Janpad Panchayat/ Urban Administration and Development Department from Assistant Teacher (Panchayat) Grade-3."

3. For Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE – III
(See Rule 8 to 12)

Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service

Sl. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Name of the members of Selection Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Head Master Primary School/ Aashram School/ Girls Education Campus.	-	45	Assistant Teacher and Teacher (Panchayat) having 7 year's experience and Lecturer Pachayat having 5 year's experience.	Selection Committee constituted by Collector.	
2.	Upper Division Teacher	21	30	Should be Graduate in Art, Science or Commerce and possess D.Ed./B.Ed/ B.L.Ed. training certificate.	Selection Committee constituted by Jila Panchayat / Urban Development Department	1. Upper Division Teacher-subjectwise. 2. Maximum age limit for domiciles of Chhattisgarh shall be relaxable as per direction issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

3.	Hostel Superintendent Grade-D.	21	30	Should have passed Higher Secondary (10+2), preference shall be given to candidates having knowledge/training of computer.	Selection Committee constituted by Commissioner/ Director.	-do-
4.	Crafts Teacher Gurukul Vidyalaya.	21	30	Should have passed Degree/Diploma in Crafts from any recognized University.	Selection Committee constituted by Jila Panchayat/ Urban Administration and Development Department.	-do-
5.	Agriculture Teacher Higher Secondary School.	21	30	Should have passed Degree/Diploma in Agriculture from any recognized University.	-do-	-do-
6.	Physical Training Instructor	21	30	1. Should have passed Higher Secondary or equivalent. 2. Should possess Diploma or Certificate in Physical Training/ D.P.Ed.	-do-	-do-
7.	Music teacher, Higher Secondary School, Gurukul Vidyalaya, Higher Secondary School, Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12)	21	30	Should have passed degree or diploma in Music from any recognized University	Selection Committee constituted by Jila Panchayat/ Urban Administration and Development Department	1. Upper Division Teacher - subjectwise. 2. Maximum age limit for domiciles of Chhattisgarh shall be relaxable as per direction issued by the Government of

						Chhattisgarh General Administration Department from time to time.
8.	Tabala Teacher, Higher Secondary School, Gurukul, Higher Secondary School, Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	30	Should have passed degree or diploma in Tabla subject from any recognized University.	-do-	-do-
9.	Assistant Teacher Primary School Middle Aashram (100 seater) Middle Aashram (50 seater) Primary Aashram (100 seater) Primary Aashram (50 seater) Gurukul Vidyalaya (Primary School) Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	30	1.Should have passed Higher Secondary or equivalent. 2. Should have passed D.Ed. /D.L.Ed. training certificate.	1. Selection Committee constituted by Janpad Panchayat/ Urban Administration and Development Department. 2. Post shall be filled by Assistant Teacher (Panchayat)	-do-

10.	Assistant Teacher (Science) Model Higher Secondary School, Assistant Teacher (Science), High School	21	30	1.Passed Higher Secondary with science subject or equivalent (10+2) 2. Should have D.Ed. /D.L.Ed. training certificate.	-do-	-do-
11.	Assistant Librarian (Model Higher Secondary School) Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12)	21	30	Should possess dc ree in Library Science or Diploma from any recognized University.	1.Commissioner /Director-Chairman 2. Additional Director (Administration) -Member 3.Deputy Commissioner (General Establishment)-Member 4.Deputy Commissioner (Educational Establishment)-Member Secretary	1. Upper Division Teacher - subjectwise. 2. Maximum age limit for domiciles of Chhattisgarh shall be relaxable as per direction issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.
12.	Book Keeping Assistant Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12) Librarian Assistant Model Higher Secondary School.	21	30	Should possess degree in Library Science or Diploma from any recognized University.	-do-	-do-

13.	Assistant Librarian Gurukul Vidyalaya.	21	30	Should possess degree in Library Science or Diploma from any recognized University.	-do-	-do-
14.	Industries Teacher Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	30	Should possess degree or diploma in Industry subject from any recognized University	Selection Committee constituted by Jila Panchayat/ Urban Development Department	-do-
15.	Laboratory Assistant Model Higher Seconary School, Gurukul Vidyalaya	21	30	Should have passed Higher Secondary (10+2) with science subject	Selection Committee constituted by Jila Panchayat / Urban Development Department	-do-."

4. For the entries relating to column (1) to (6) of serial number 3, 5 and 6 of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	1. Assistant Teacher, Primary School/ Aashram School 2. Assistant Teacher D.P.Ed.	05 year	Upper Division Teacher/Head Master, Primary School/Aashram School/Girls Educational Campus. P.T.I.	1. Collector – Chairman 2. Assistant Commissioner, Tribal Welfare- Member-Secretary 3. Assistant Director – Member 4. Block Development Education Officer-Member (any one) 5. Principal, Government. Higher Secondary School-Member (any one)	Posts of Upper Division Teacher shall be filled up from Assistant Teacher holding Minimum Graduate Degree in respective subjects.

5.	Assistant Librarian (Girls Education Campus)	05 year	Librarian, Higher Secondary Teacher	1. Commissioner/ Director-Chairman 2. Additional Director (Administration)- Member 3. Deputy Commissioner (General Establishment)- Member 4. Deputy Commissioner (Educational Establishment)- Member Secretary	-do-
6.	Assistant Librarian, Gurukul Vidyalaya	05 year	Assistant Librarian (Girls Education Campus)	-do-	-do-."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHOUDHARY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.